Jai Maa Saraswati Gyandayini ISSN: 2454-8367
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Accessed & Indexed)
Web: www.jmsjournals.in Email: jmsjournals.in@gmail.com
Vol. 2, Issue-III
Jan. 2017
Impact Factor : 4.032 (IIJIF)

रायगढ़ जिले के रियासतों में कृषक आंदोलन

डॉ. रामरतन साहू
सहायक प्राध्यापक (इतिहास)
डॉ सी. वी. रामन् वि. वि. करगीरोड, कोटा, बिलासपुर, (छ.ग.)

शोध सार

रायगढ़ समूह की रियासतें छत्तीसगढ़ के अन्य रियासतों की तरह प्रत्येक दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। रियासत के नागरिक लंबे समय तक ब्रिटिश सरकार और शासक के द्वारा समय– समय पर लागू दोहरे नीति के मध्य पिसती रही। लाोग रियासती शासन के भय से खुलकर विरोध नही कर पा रहे थे। परंतु ब्रिटिश सरकार के रियासत पर बढ़तें प्रभाव तथा विभिन्न कालक्रमों में घटित विद्रोह और आंदोलन से इस क्षेत्र के नागरिक जागृत होने लगे।

रायगढ़ समूह के रियासतों में भूमि पट्टों के नवीनीकरण के लिए के लिये नजराने देने पड़ते थे, तथा कृषि भूमि के बंदोबस्त, ठेकेदारी की दृषित पद्वति लागू किया गया था। इन नीतियों के खिलाफ मालगुजारों और किसानों ने सन् 1884 में रायगढ़ रियासत के शासक घनष्याम सिंह के शासनकाल में विद्रोह कर दिये। मुकुन्द गुप्ता, हरि पण्डा के नेतृत्व में अधिकाधिक संख्या में नागरिकों ने उपस्थित होकर शिकायतें डिप्टी कमिश्नर सम्बलपुर के समक्ष किये। डिप्टी कमिश्नर ने जॉच के आदेश दिये, शिकायतें सही पाया गया। फरवरी 1885 में डिप्टी कमिश्नर ने राजा को शासनाधिकार से वंचित कर रियासत के प्रबंध कार्य को अपने अधीन ले लिये।

ब्रिटिश शासन ने कृषको की भूमि बंदोबस्त की अवधि बढ़ा दिये। अधिकांश मालगुजारों को उनकी काष्त–भूमि पर महफूजा हक दे दिये। भू–स्वामियों को सामान्य स्थिति में उनकी भूमि से बेदखल नही किया जा सकता, किन्तु कृषक अपनी भूमि को बेच नही सकता था। स्थायी अधिकार भी नही दिये गये। पट्टों का नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान रखा गया था।

सन् 1905 में राजा भूपदेव सिंह ने पट्टाबंदीं नियम मालगुजारों पर थोप दिया। इस नियम के तहत् प्रति दूसरे वर्ष ग्राम की ठेकेदारी खत्म कर नया ठेका दिया जाता था, जिसे गॉव का गौटिया कहा जाता था। इस नियम के खिलाफ असंतुष्ट मालगुजारों ने लोंइग के गौटिया मुकुन्द गुप्ता और ठेंगापाली के गौटिया हरि पण्डा के नेतृत्व में संशोधन की मॉग को लेकर 1905 में विद्रोह कर दिया। राजा ने मुकुन्द गुप्ता और हरि पण्डा को राज्य से निर्वासित कर दिया। नेतृत्व –विहिन होने से आंदोंलन स्वतः समाप्त हो गया। इस आंदोंलन ने राजशाही शासन को हिलाकर रख दिया तथा राजा सुधार करने बाध्य हो गये। नई नीति के तहत् मालगुजारो

Jai Maa Saraswati Gyandayini ISSN: 2454-8367
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Accessed & Indexed)
Web: www.jmsjournals.in Email: jmsjournals.in@gmail.com
Vol. 2, Issue-III
Jan. 2017
Impact Factor : 4.032 (IIJIF)

और किसानों को उनकी भूमि पर स्थायी अधिकार दिये गये। किसान अपनी जमीन को मालगुजार की सहमति से बेच सकता था।

सन् 1925 में राज्य शासन द्वारा स्टेट वाजीवुल अर्ज में मालगुजारों और किसानों के अधिकार संबंधित कुछ परिवर्तन किये गये। इस वाजीवुल अर्ज से मालगुजारों को पुनः ठेकेदार घोषित कर दिया गया। गॉव के मालगुजारों और किसानो में घोर असंतोष फैल गया। दोनों वर्ग सम्मिलित रुप से सन् 1925 में आदोंलन कर वाजीवुल अर्ज में संशोधन करने की मॉग किये।

यद्यपि आंदोलन समाप्त हो गया, किन्तु आंदोलन का प्रभाव रियासती शासकों पर पड़ा तथा पूर्व की तरह भूमि व्यवस्था पर सुधार कर दिये। बेगार, नजराना, निस्तारी की समस्या से कृषक वर्ग ग्रसित थे। विभिन्न अवसरो पर राजा, गौटिया तथा राजकर्मचारियों के आदेश पर बेगारी करना और नजराना देना पड़ता था। कृषक वर्ग शनैः शनैः एकजुट होने लगे। जन–जागृति की लहर दौड़ पड़ा तथा इन वर्गो ने एक नई संस्था प्रजा मंगल समाज की स्थापना किये। इस संस्था के माध्यम से अनेकों सभाओ का आयोजन कर बेगार, नजराना जैसे कुप्रथाओं को समाप्त करने की मॉग रखकर रियासती शासन को नतमस्तक होने पर विवश कर दिये। राजा ने जनताओं की मॉग को स्वीकार कर नजरानें समाप्त कर दिये तथा बेगार की मात्रा को भी सीमित कर दिया।

सन् 1938 में पंडित वृन्दावन मिश्रा के नेतृत्व में मालगुजारों क्रमशः सुदर्शन पंडा, दशरथ प्रसाद मिश्र, पंडित मनोहर मिश्र, कालीचरण इत्यादि ने प्रजामंडल समाज नामक संगठन तैयार किये। मालगुजारों को संगठित होते देखकर रमाशंकर लाल श्रीवास्तव, फजहूर रहमान, रुपचंद सेठ आदि किसानों ने भी किसान सभा नामक संस्था की स्थापना किये। 8 जनवरी 1939 को टाऊनहाल में सभा का आयोजन कर दरबार से बेगार, नजराना, निस्तारी की समस्या जैसे कुप्रथाओ को हटाने की मॉग किये। जनता की मॉग और जन जागृति से घबराकर फरवरी 1939 में राजा ने बेगार और नजराने की मॉग सीमित और निशचित कर दिये। इससे नागरिको में असंतोष व्याप्त रहा, वे लोग पूर्ण समाप्ति चाहते थे। स्टेट कांग्रेस ने इन प्रथाओ का घोर विरोध किया। फलस्वरुप राजा ने 2 जून 1947 को आदेश जारी कर दशहरा के अवसर पर मिलने वाले नजराने के अतिरिक्त सभी प्रकार के नजराने समाप्त तथा बेगार भी सीमित कर दिये।

सारंगढ़ रियासत में चरी नामक कर के विरोध में दानीराम पटेल ने जंगल सत्याग्रह किया। उन्हें रजिस्ट्रेशन ऑफ एशोसियेशन एक्ट के तहत् गिरफ्तार कर लिये गये। अंत में अपने उद्देश्य में सफल हुए।

Jai Maa Saraswati Gyandayini ISSN: 2454-8367
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer Reviewed, Open Accessed & Indexed)
Web: www.jmsjournals.in Email: jmsjournals.in@gmail.com
Vol. 2, Issue-III
Jan. 2017
Impact Factor : 4.032 (IIJIF)

सारंगढ़ के नवयुवकों ने शासक के दमनकारी नीति के विरुद्ध प्रजामंडल संस्था को सन 1942 में पुर्नजीवित कर नागरिकों को जागृत करने का भरसक प्रयत्न किये। श्री धनसाय वर्मा, ब्रजभूषण शर्मा इत्यादि नेताओं के सफल नेतृत्व से राजा को झुकना पड़ा और नागरिकों के मॉगों जैसे–स्वतंत्रता, अधिकार, सभा और जुलूस का प्रदर्शन करने की आजादी में से अधिकांश मॉगो को पूरा किये।

यह घटना रियासती शासन के विरुद्ध विद्रोह तथा रियासत के लोगों में जन–जागृति फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायें। रियासती जनता ने राजशाही शोषण, अत्याचार और अंग्रेजों की दासता से छुटकारा पाने भरसक प्रयास कर दिये। जिसमें जीत अंततः नागरिकों की हुई।

संदर्भ सूची–

1. श्रीवास्तव, रीतू – स्वधीनता आंदोलन में बिलासपुर संभाग के रियासतों की भूमिका,1989–90,पृ.33।
2. जनकर्म (दीपावली विषेशांक),1995।
3. फारेन डिपार्टमेंट (इन्टरनल ए) प्रोसिडिंग्स,जनवरी 1885,।
4. फारेन डिपार्टमेंट प्रोसिडिंग्स,सितम्बर 1886,।
5. राहगीर, अमीरचंद– राजनैतिक चेतना एंव किसान आंदोलन–एक झलक (मध्यप्रदेश रजत जयंती समारोह 1981),रायगढ़ जिला स्मारिका।
6. दरबार ऑफिस रायगढ़ स्टेट्स ईएसए दरबार नोटिफिकेशन न. 1234।
7. फारेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट सिक्रेट फाइल न. 643 (1)पी, 1932।
8. शर्मा, कमलनयन – रायगढ़ दर्शन।
9. जनकर्म (दीपावली विषेशांक),1995।
10. शुक्ला, अशोक, छत्तीसगढ़ का राजनैतिक इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन।
11. मध्यप्रदेश संदेश 1987।
12. प्रोगेसिव, रायगढ़ (साप्ताहिक हिन्दी अंक),
13. सुरजन, ललित (संपादक), संदर्भ छत्तीसगढ।.
14. दरबार ऑफिस, रायगढ़ स्टेट ई.एस.ए.दरबार नोटिफिकेशन न. 643(1),पी. 1932।